



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय/Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066

Bhavishya Nidhi Bhawan , 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066

सं: संख्या हि.अनु./विविध/मुख्यालय/वॉल.IV /2017

दिनांक:

सेवा में,

22 SEP 2017

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल/निदेशक, पीडीनास),
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय, (प्र.से.प्र.),
सभी प्रभारी क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय

विषय: संघ की राजभाषा नीति के राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 तथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. जैड-11012/1/2017-रा.भा.नी दिनांक 16/08/2017 की प्रतियां (संलग्न) आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

भवदीय,

संलग्न: यथोपरि

(के.एल. गोयल)

अपर केंद्रीय भ.नि.आयुक्त (राजभाषा)

प्रतिलिपि:

- (1) संयुक्त निदेशक (रा.भा.) को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ।
- (2) सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
- (3) उपा निदेशक (सतर्कता) सभी अंचल।
- (4) सभी आंचलिक लेखा परीक्षा दल।
- (5) उप-निदेशक (रा.भा.) मंबई/हैदराबाद/कोलकाता।
- (6) क्षे.आ.(एन.डी.सी.) को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

(वीणा रानी यादव)

उप निदेशक (राजभाषा)

(5)

SP-3274

फा.सं. जैड-11012/1/2017-रा.भा.नी.

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली

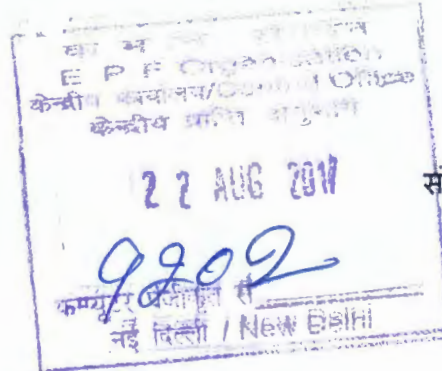
दिनांक: 16 अगस्त 2017

परिपत्र

संघ की राजभाषा नीति के राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्र या हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर निवार्यतः हिंदी में ही दिए जाने आवश्यक हैं।

अतः मंत्रालय के अनुभागों/अधीनस्थ कार्यालयों से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्र या हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दें।

प.प्र(02)

14485
24/8/17

(विजय सिंह मीणा)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

कृपया परिचालित करें।

1. श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी अनुभाग/एकक/प्रकोष्ठ
2. महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, हीरापुर, धनबाद, झारखण्ड-826001
3. निदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर 24, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
4. निदेशक दत्तोपंत थेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई), नार्थ अम्बाझारी, रोड, नागपुर-440033
5. महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, एससीओ 28-31, सैक्टर 17ए, चंडीगढ़-160017
6. महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, केंद्रीय श्रम संस्थान भवन, एन.एस. मंकीकर मार्ग, सायन, मुम्बई-400022
7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, 14 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
8. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002
9. महानिदेशक, रोजगार महानिदेशालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली
10. मुख्य श्रमायुक्त कार्यालय श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।

24/8/17
श्रीमती श्रीदेवी

सं. जैड-11012/1/2017-रा.भा.नी.

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

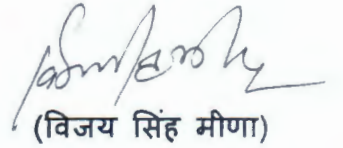
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक: 16 अक्टूबर 2017

परिपत्र

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले निम्नलिखित कामगाज जिनमें संकल्प, संविदा, सामान्य आदेश, नियम, ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र, करार, लाइसेंस, परमिट, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, संसदीय, प्रश्न, संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन या दस्तावेज, प्रेस विज्ञापित आदि शामिल हैं, अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप से जारी किए जाने आवश्यक हैं।

अतः मंत्रालय के अनुभागों/अधीनस्थ कार्यालयों से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करें।


(विजय सिंह मीणा)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी अनुभाग/एकक/प्रकोष्ठ
2. महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, हीरापुर, धनबाद, झारखण्ड-826001
3. निदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर 24, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
4. निदेशक दत्तोपंत थेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई), नार्थ अम्बाझारी, रोड, नागपुर-440033
5. महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, एससीओ 28-31, सैक्टर 17ए, चंडीगढ़-160017
6. महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, केंद्रीय श्रम संस्थान भवन, एन.एस. मंकीकर मार्ग, सायन, मुम्बई-400022
7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, 14 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
8. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002
9. महानिदेशक, रोजगार महानिदेशालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली
10. मुख्य श्रमायुक्त कार्यालय श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।